इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 214] भोपाल, सोमवार, दिनांक 26 मई 2014—ज्येष्ठ 5, शक 1936

स्कूल शिक्षा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 मई 2014

क्र. एफ. 44-19-2013-बीस-2.—नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का 35) की धारा 38 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, —

1. नियम 11 में, उपनियम (4) में, खण्ड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(ग) कलेक्टर, किसी भी समय, स्व-प्रेरणा से या आवेदक स्कूल द्वारा आवेदन किया जाने पर जिला शिक्षा अधिकारी के विनिश्चय से 45 दिन के भीतर इस बात का परीक्षण करने के लिए कि क्या प्राधिकारी ने अपने अधिकार के प्रयोग में अवैधानिकता की है या उसके द्वारा गंभीर अनियमितता की गई है, जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा निराकृत किसी प्रकरण के अभिलेख मंगा सकेगा.

उस दशा में, जहां की कलेक्टर का यह समाधान हो जाता है कि प्रकरण में अवैधानिक रूप से निर्णय किया गया है या उसके निराकरण में गंभीर अनियमितता की गई है, वह जिला शिक्षा अधिकारी के निर्णय को उलट देगा या उसे संशोधित करेगा :

परन्तु कलेक्टर द्वारा किसी स्कूल के विरुद्ध कोई प्रतिकूल आदेश तब तक पारित नहीं किया जायेगा जब तक कि स्कूल को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो.".

2. नियम 12 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"12. **स्कूल प्रबंधन समिति :—**

(1) इन नियमों के प्रकाशन के छह मास के भीतर, इसकी अधिकारिता के भीतर सहायता न पाने वाले स्कूल से अन्यथा प्रत्येक स्कूल में एक स्कूल प्रबंधन समिति गठित की जाएगी तथा प्रत्येक दो वर्ष में इसका पुनर्गठन किया जाएगा.

(2) (क) **समिति का गठन :—**

(एक) प्रायमरी स्कूल के लिए 18 सदस्यीय तथा मिडिल स्कूल के लिए 16 सदस्यीय समिति होगी. इनके न्यूनतम तीन चौथाई सदस्य स्कूल में नामांकित बच्चों के पालकों, जिसमें माता तथा पिता दोनों सम्मिलित हैं या अभिभावकों में से होंगे. वंचित समूह और कमजोर वर्ग से संबंधित बच्चों के पालकों या अभिभावकों का समिति में प्रतिनिधित्व कुल नामांकित बच्चों के अनुपात में होगा.

(दो) दो सदस्य स्थानीय प्राधिकारी के निर्वाचित प्रतिनिधि होंगे. स्कूल का प्रधान शिक्षक या वरिष्ठतम शिक्षक और वरिष्ठतम महिला शिक्षक, समिति के सदस्य होंगे. प्रधान शिक्षक या वरिष्ठतम शिक्षक, समिति का पदेन सदस्य सचिव होगा.

(तीन) समिति के सदस्यों में 50 प्रतिशत महिलाएं होंगी.

(चार) समिति का एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा. इनका निर्वाचन समिति के निर्वाचित पालकों या अभिभावकों में से किया जाएगा :

परन्तु यदि अध्यक्ष महिला नहीं है तो उपाध्यक्ष कोई महिला होगी.

(ख) **प्रायमरी स्कूल में निम्नानुसार समिति गठित की जाएगी :—**

(एक) समिति के 18 सदस्यों में से 14 सदस्य, जिनमें सात महिला सदस्य सम्मिलित हैं स्कूल में नामांकित बच्चों के पालकों या अभिभावकों में से होंगे. अकादमिक वर्ष के प्रारंभ में समिति का सदस्य सचिव, उपनियम (2) (क) के उपबंधों के अनुसार 14 सदस्यों में स्कूल में नामांकित वंचित समूह और कमजोर वर्ग के बालकों के पालकों या अभिभावकों का समानुपातिक प्रतिनिधित्व नियत करेगा. वह समिति में सदस्य के रूप में सम्मिलित होने वाले पालकों/अभिभावकों की संख्या के वर्गीकरण की जानकारी स्कूल के नोटिस बोर्ड में निम्नलिखित रीति में प्रदर्शित करेगा :—

वर्ग	पालक (पुरुष)	पालक (महिला)	कुल
वंचित समूह			
कमजोर वर्ग			
अन्य			

(दो) **समिति के शेष सदस्य निम्नानुसार होंगे :—**

(क) नगरीय क्षेत्रों में उस वार्ड का पार्षद और ग्रामीण क्षेत्रों में उस वार्ड का पंच जिसमें कि स्कूल स्थित है;

(ख) नगरीय क्षेत्रों में उस नगरीय स्थानीय निकाय के महापौर/ अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट एक महिला पार्षद तथा ग्रामीण क्षेत्रों में उस ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा नामनिर्दिष्ट एक महिला पंच, जिसमें कि स्कूल स्थित है;

(ग) स्कूल का प्रधान शिक्षक या प्रधान शिक्षक की अनुपस्थिति में वरिष्ठतम शिक्षक, और

(घ) स्कूल की वरिष्ठतम महिला शिक्षक.

(तीन) समिति का सदस्य सचिव, प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद या जैसा कि आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा निर्देशित किया जाये, स्कूल में नामांकित बालकों के सभी पालकों या अभिभावकों की बैठक आहूत करेगा. तत्पश्चात् वह पालकों या अभिभावकों में से समिति के 14 सदस्यों के जिनमें से सात महिला सदस्य होंगी, निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ करेगा.

सदस्य सचिव, कक्षा 2 से कक्षा 5 तक के उन बालकों के, जिन्होंने गत वर्ष के वार्षिक मूल्यांकन में ए+ ग्रेड प्राप्त किया है, महिला पालकों/अभिभावकों में से लाटरी द्वारा समिति की सात महिला सदस्यों के नाम निकालेगा. इसी प्रकार वह कक्षा 2 से कक्षा 5 तक के उन बालकों के, जिन्होंने गत वर्ष के वार्षिक मूल्यांकन में ए+ ग्रेड प्राप्त किया है, पुरुष पालकों/अभिभावकों में से लाटरी द्वारा समिति के सात पुरुष सदस्यों के नाम निकालेगा. पुरुष एवं महिला सदस्यों में वंचित समूह और कमजोर वर्ग के सदस्यों का अनुपात उप-नियम (2) (ख) (एक) के अनुसार होगा :

परन्तु किसी बालक के महिला पालक/ अभिभावक का नाम महिला सदस्य के रूप में सम्मिलित होने पर उस बालक के पुरुष पालक/ अभिभावक का नाम पुरुष सदस्यों के चयन में विचार में नहीं लिया जाएगा :

परन्तु यह और कि यदि कक्षा 2 से कक्षा 5 के बीच ए+ ग्रेड के बालकों की कुल संख्या 7 से कम है तो सदस्यों का चयन ए+ ग्रेड से एक ग्रेड नीचे के बालकों के पालकों/ अभिभावकों के नामों पर विचार कर किया जाएगा.

(चार) यह प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात् सदस्य सचिव, सदस्य पालकों या अभिभावकों में से समिति के अध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ करेगा. वह अध्यक्ष के पद के निर्वाचन के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों से नामांकन प्राप्त करेगा और निर्वाचन संचालित करेगा. अध्यक्ष के निर्वाचन के पश्चात् सदस्य सचिव, उप नियम (2) (क) (चार) के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए सदस्य पालकों या अभिभावकों में से उपाध्यक्ष के निर्वाचन का संचालन करेगा :

परन्तु निर्वाचित प्रतिनिधि पार्षद्/ पंच तथा शिक्षक जिनमें प्रधान शिक्षक या वरिष्ठतम शिक्षक सम्मिलित हैं, निर्वाचन में भाग लेने के लिए पात्र नहीं होंगे, न ही उन्हें कोई मत देने का अधिकार होगा.

(ग) **मिडिल स्कूल में निम्नानुसार समिति गठित की जाएगी :—**

(एक) 16 सदस्यीय समिति में से 12 सदस्य, जिसमें छह महिला सदस्य सम्मिलित हैं, स्कूल में नामांकित बच्चों के पालकों या अभिभावकों में से होंगे. अकादमिक सत्र के प्रारंभ में समिति का सदस्य सचिव, उपनियम (2) (क) में विहित किए गए अनुसार 12 सदस्यों में स्कूल में नामांकित वंचित समूह और कमजोर वर्ग के बालकों के पालकों या अभिभावकों का आनुपातिक प्रतिनिधित्व निर्धारित करेगा. तत्पश्चात् वह सदस्य के रूप में समिति में सम्मिलित होने वाले पालकों / अभिभावकों की संख्या के वर्गीकरण की जानकारी स्कूल के नोटिस बोर्ड पर निम्नानुसार प्रदर्शित करेगा :—

वर्ग	पालक (पुरुष)	पालक (महिला)	कुल
वंचित समूह			
कमजोर वर्ग			
अन्य			

(दो) **समिति के शेष सदस्य निम्नानुसार होंगे :—**

(क) नगरीय क्षेत्रों में उस वार्ड का पार्षद और ग्रामीण क्षेत्रों में उस वार्ड का पंच जिसमें कि स्कूल स्थित है;

(ख) नगरीय क्षेत्र में उस नगरीय स्थानीय निकाय के महापौर/ अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट एक महिला पार्षद तथा ग्रामीण क्षेत्रों में उस ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा नामनिर्दिष्ट एक महिला पंच, जिसमें कि स्कूल स्थित है;

(ग) स्कूल का प्रधान शिक्षक या प्रधान शिक्षक की अनुपस्थिति में वरिष्ठतम शिक्षक, और

(घ) स्कूल की वरिष्ठतम महिला शिक्षक.

(तीन) सदस्य सचिव, प्रवेश की अंतिम तिथि के पश्चात् या जैसा कि आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा निदेशित किया जाए, स्कूल में नामांकित बालकों के सभी पालकों या अभिभावकों की बैठक आहूत करेगा. तत्पश्चात् वह पालकों या अभिभावकों में से समिति के 12 सदस्यों जिनमें छ: महिलाएं होंगी, के निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ करेगा.

सदस्य सचिव, कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के उन बालकों के, जिन्होंने गत वर्ष के वार्षिक मूल्यांकन में ए+ ग्रेड प्राप्त किया है, महिला पालको/ अभिभावकों में से लाटरी द्वारा समिति की छह महिला सदस्यों के नाम निकालेगा. इसी प्रकार वह कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के उन बालकों के, जिन्होंने गत वर्ष के वार्षिक मूल्यांकन में ए+ ग्रेड प्राप्त किया है, पुरुष पालकों/अभिभावकों में से लाटरी द्वारा समिति के छह पुरुष सदस्यों के नाम निकालेगा. पुरुष एवं महिला सदस्यों में वंचित समूह और कमजोर वर्ग के सदस्यों का अनुपात खण्ड (2) (ग) (एक) के अनुसार होगा :

परन्तु किसी बालक के महिला पालक/ अभिभावक का नाम महिला सदस्य के रूप में होने की दशा में उस बालक के पुरुष पालक/ अभिभावक का नाम पुरुष सदस्य के चयन में विचार में नहीं लिया जाएगा :

परन्तु यह और कि यदि कक्षा 6 से कक्षा 8 के बीच ए+ ग्रेड के बालकों की कुल संख्या 6 से कम है तो सदस्यों का चयन ए+ ग्रेड से एक ग्रेड नीचे के बालकों के पालकों/ अभिभावकों के नामों पर विचार करके किया जाएगा.

(चार) यह प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात् सदस्य सचिव, सदस्य पालकों या अभिभावकों में से समिति के अध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ करेगा. वह अध्यक्ष के पद के निर्वाचन के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों से नामांकन प्राप्त करेगा और निर्वाचन संचालित करेगा. अध्यक्ष के निर्वाचन के पश्चात् सदस्य सचिव, उप नियम (2) (क) (चार) के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए सदस्य पालकों या अभिभावकों में से उपाध्यक्ष के निर्वाचन का संचालन करेगा :

परन्तु निर्वाचित प्रतिनिधि पार्षद्/ पंच तथा शिक्षक जिसमें प्रधान शिक्षक या वरिष्ठतम शिक्षक सम्मिलित हैं, निर्वाचन में भाग लेने के लिए पात्र नहीं होंगे, न ही उन्हें कोई मत देने का अधिकार होगा.

(3) किसी बालक के जिसके माता पिता या अभिभावक समिति के सदस्य हैं, स्कूल छोड़ने की दशा में, स्कूल छोड़ने के दिनांक से सीट रिक्त मानी जाएगी और रिक्त सीट उप नियम (2) (ख) (तीन) और उप नियम (2) (ग) (तीन) के अधीन उपबंधित रीति में भरी जाएगी :

परन्तु रिक्त हुई सीट उसी प्रवर्ग से जैसे कि महिला, वंचित समूह और कमजोर वर्ग के व्यक्ति से भरी जाएगी, जिससे कि यह मूल रूप में भरी गई थी. इस सदस्य का कार्यकाल, समिति के कार्यकाल की शेष कालावधि तक रहेगा.

(4) स्कूल प्रबंधन समिति माह में कम से कम एक बार बैठक करेगी और बैठक के कार्यवृत्त तथा विनिश्चियों को समुचित रूप से अभिलिखित किया जाएगा. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, समिति का उपाध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता करेगा. अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में समिति के सदस्य, समिति की बैठक की अध्यक्षता करने के लिए अपने में से किसी एक सदस्य को निर्वाचित करेंगे.

(5) समिति आसपास से व्यक्ति/ व्यक्तियों को आमंत्रित कर सकेगी, यदि ऐसे व्यक्ति/ व्यक्तियों की सेवाएं स्कूल के विकास के लिए उपयोगी हों.

(6) स्कूल प्रबंधन समिति धारा 21 की उपधारा (2) के खण्ड (क) से (घ) में विनिर्दिष्ट कृत्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगी जिसके लिए वह अपने सदस्यों में से लघुतर कार्य समूह गठित कर सकेगी :—

(एक) स्कूल के आसपास की सीमा के जनसमुदाय को, अधिनियम में यथा अभिव्यक्त बालकों के अधिकार, राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकारी स्कूल, माता-पिता तथा अभिभावक के कर्तव्यों को भी सरल तथा रचनात्मक तरीकों से संसूचित करना ;

(दो) धारा 24 के खण्ड (क) तथा (ङ) तथा धारा 28 का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना;

(तीन) यह मानीटर करना कि शिक्षकों पर धारा 27 में विनिर्दिष्ट से भिन्न गैर शैक्षणिक कर्तव्यों के लिए भार तो नहीं डाला गया है;

(चार) स्कूल के आसपास की सीमा के सभी बालकों का नामांकन और निरंतर उपस्थिति सुनिश्चित करना;

(पांच) अधिनियम की अनुसूची में विहित मानकों तथा मानदण्डों के संधारण को मानीटर करना;

(छह) बालकों के अधिकारों के किसी व्यतिक्रम से, विशेष रूप से बालकों के मानसिक तथा शारीरिक उत्पीड़न प्रवेश से इंकार किए जाने को स्थानीय प्राधिकारी की जानकारी में लाना और धारा 3 की उपधारा (2) के अनुसार नि:शुल्क अधिकारों की समय पर व्यवस्था करना;

(सात) आवश्यकताओं की पहचान करना, योजना तैयार करना और धारा 4 के उपबंधों के क्रियान्वयन को मानीटर करना;

(आठ) नि:शक्त बालकों की पहचान तथा नामांकन और शिक्षा के लिए सुविधाओं को मानीटर करना और उनकी प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता सुनिश्चित करना;

(नौ) स्कूल में मध्यान्ह भोजन के क्रियान्वयन को मानीटर करना;

(दस) स्कूल की प्राप्तियों तथा व्यय का एक वार्षिक लेखा तैयार करना;

(ग्यारह) स्कूल के शिक्षकों की नियमितता और समय निष्ठा को मानीटर करना;

(7) समिति द्वारा प्राप्त किया गया कोई धन समिति के खाते में जमा किया जाएगा. खाता, समिति के अध्यक्ष और सदस्य-सचिव का संयुक्त खाता होगा. खाता, जब भी कभी अपेक्षित हो, संपरीक्षा के लिए उपलब्ध कराया जाएगा.

No. F 44-19-2013-XX-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of Section 38 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (No. 35 of 2009), the State Government, hereby, makes the following amendments in the Right of Children to Free and Compulsory Education Rules, 2011, namely:—

AMENDMENTS

In the said rules, —

1. In rule 11, in sub-rule (4), after clause (b), the following clause shall be substituted, namely :—

"(C) The Collector, at any time on its own motion or on the application made by the applicant school within 45 days of the decision the District Education Officer, may call for the record of any case which has been decided by the District Education Officer to examine whether the authority has acted in exercise of his/ her jurisdiction illegally or with material irregularity.

In case the Collector is satisfied that the case has been decided illegally or with Material irregularity it shall reverse or amend the decision of the District Education Officer :

Provided that no adverse order shall be passed by the Collector against any school before giving reasonable opportunity or being heard to the school.”..

2. For rule 12, the following rule shall be substituted, namely :—

“12. **School Management Committee :—**

(1) A School Management Committee shall be constituted in every school, other than an unaided school, within its jurisdiction, within six months of the publication of the rules and reconstituted every two years.

(2) **(a) Constitution of the Committee :—**

(i) The committee shall be 18 members for the primary school and 16 members for the middle school. Of them minimum three fourth members shall be from the parents that include both mothers and fathers, or guardians of the children enrolled in the school. The parents or guardians of the children belonging to disadvantaged group and weaker section shall be represented in the committee in proportion of the children to the total enrolment.

(ii) Two members shall be the elected representatives of the local authority. The head teacher or the senior most teacher and senior most female teacher of the school shall be members of the committee. The head teacher or the senior most theacher shall be Ex-officio Member Secretary of the committee.

(iii) Fifty percent of members of the committee shall be women.

(iv) There shall be a Chairperson and a Vice-chairperson of the committee. They shall be elected from among the elected parents or guardians of the committee :

Provided if the Chairperson is not a Woman the Vice-chairperson shll be a Woman.

(b) **In the primary school, the committee shall be constituted as follows :—**

(i) In the 18 members of the committee 14 members including seven woman members shall be from the parents or guardians of the children enrolled in the school. At the beginning of the academic years, the member secretary of the committee shall fix the proportionate representative of 14 members of the parents or guardinas of the children enrolled in the school belonging to disadvantage group and weaker section according to the provisions of sub-rule 2(a), he/ she, shall display the classification of number of parents/ guardians to be included in the committee as a member on the following manner on the notice board of the School :—

Category	Parent (male)	Parent (female)	Total
Disadvantage group			
Weaker section			
Others			

(ii) **Remaining members of the committee shall be as follows :—**

(a) councilor of the ward in urban areas and Panch of the ward in rural area, where the school is situated;

(b) one woman councilor nominated by Mayor/ Chairperson of the urban local body in urban areas and one woman Panch nominated by Sarpanch of the Gram Panchayat in rural area where the school is situated;

(c) head teacher of the school or the senior most teacher in absence of head teacher; and

(d) Senior most female teacher of the school.

(iii) The member secretary, after the last date of admission or as may be directed by the Commissioner, Rajya Shiksha Kendra, shall convene the meeting of all the parents or guardians of the children enrolled in the school. He/ she shall then start process of election for fourteen members from the parents or guardians includes seven female members.

The member secretary shall draw lots for seven female members of the committee from among the female parents/ guardians of the children from class II to class V, who have scored A^+ grade in annual evaluation of previous academic year. Similarly, he/ she shall draw lots for seven male members from among the male parents/guardians of the children from class II to class V, who have scored A^+ grade in annual evaluation of previous academic year. Proportion of disadvantaged group and weaker section among a male and female members shall be as per sub-rule 2(b)(i):

Provided that the name of a female parent/ guardian of a child who has become a female member, the male parent/ guardian of the child shall not be considered in election of male members:

Provided further that if the total number of children in A^+ grade from among class II and class V are less than seven, the members shall be chosen by considering the names of the parents/ guardians of children that have scored a grade lower than A^+.

(iv) after this process is over the member secretary hall start process of election of chairperson from among the member parents or guardians. He/ She shall seek nominations from the aspiring candidates and conduct election. After the election of the chairperson the member secretary shall conduct the election of the Vice-chairperson from among the member parents or guardians keeping the provision of sub-rule 2(a) (iv) :

Provided that elected representatives, Councilor/ Panch and the teachers including head teacher or the senior most teacher shall not be eligible for participating in election nor they shall have any voting right.

(c) **In middle School the committee shall be constituted as follows :—**

(i) In the 16 members committee, 12 members including six woman members shall be from the parents or guardians of the children enrolled in the school. At the beginning of the academic year, the member secretary of the committee shall, fix the proportionate representatives of parents or guardinas of the children enrolled in the school in 12 members belonging to disadvantage group and weaker section as provided under sub-rule 2(a) against 12 members, than he shall make display for public, the classification of number of parents/ guardians to be included in the committee as members on the following manner on the notice board of the School :—

Category	Parent (male)	Parent (female)	Total
Disadvantage group			
Weaker section			
Others			

(ii) **Remaining members of the committee shall be as follows :—**

(a) Councilor of the ward in urban areas and Panch of the ward in rural area, where the school is situated;

(b) one woman Councilor nominated by Mayor/ Chairperson of the urban local body in urban areas and one woman Panch nominated by Sarpanch of the Gram Panchayat in rural area where the school is situtated;

(c) head teacher of the school or the senior most teacher in absence of head teacher; and

(d) Senior most female teacher of the school.

(iii) The member secretary, after the last date of admission or as may be directed by the Commissioner, Rajya Shiksha Kendra, shall convene the meeting of all the parents or guardians of the children enrolled in the school. He/ she shall then start process of election for twelve members from the parents or guardians includes six female members.

The member secretary shall draw lots for six female members of the committee from among the female parents/ guardians of the children from class VI to class VIII, who have scored A^+ grade in annual evaluation of previous academic year. Similarly, he/ she shall draw lots for six male members from among the male parents/guardians of the children from class VI to class VIII, who have scored A+ grade in annual evaluation of previous academic year. Proportion of disadvantaged group and weaker section among a male and female members shall be as sub-rule 2(c)(i);

Provided that in case of the name of a female parent/ guardian of a child who has include a female member, the male parent/ guardian of the child will not be considered in election of male members :

Provided further that if the total number of children in A^+ grade from among class VI and class VIII are less than six, the members shall be chosen by considering the names of the parents/ guardians of children that have scored a grade lower than A+.

(iv) after this process is over the member secretary sall start process of election of chairperson from among the member parents or guardians. He/ she shall seek nominations from the aspiring cnadidated and conduct election. After the election of the chairperson the member secretary shall conduct the election of the Vice-chairperson from among the member parents or guardians keeping the provision of sub-rule 2(a) (iv) :

Provided that elected representatives, Councilor/ Panch and the teachers including head teacher or the senior most teacher shall not be elegible for participating in election nor they shall have any voting right.

(3) In case a child whose parent or guardian is the member of the committee leaves the school the seat shall be deembed to vacant from the date of leaving the school and the vacant seat shall be filled up in the manner as provided under sub-rule 2(b)(iii) and sub rule 2(c)(iii);

Provided that the vacant seat shall be filled from the same category, such as woman, person from disadvantaged group and weaker section, it has originally been filled. The tenure of this member will be the remaining period of the committee.

(4) The School Management committee shall meet at least once a month and the minutes and decisions of the meetings shall be properly recorded. In absence of Chairperson the Vice-chairperson of the committee shall chair the meeting of the committee. In absence of the Chairperson and Vice-chairperson, members of the committee shall elect one of them to chair the meeting or the committee.

(5) The committee may invite person/ persons, from the neighbourhood, if services of such person/ persons are useful for school development.

(6) The School Management committee shall, in addition to the functions specified in clauses (a) to (d) of sub-section (2) of Section 21 perform the following functions, for which it may constitute smaller working groups from amongst its members :—

(i) Communicate in simple and creative ways to the population in the limit of neighbourhood of the school, the rights of the child as enunciated in the Act, as also the duties of the State Government, local authority, school, parent and guardian;

(ii) ensure the implementaton of clauses (a) and (e) of Section 24 and Section 28;

(iii) monitor that teachers are not burdened with non academic duties other than those specified in Section 27;

(iv) ensure the enrolment and continued attendance of all the children from the limit of neighbourhood in the school;

(v) monitor the maintenance of the norms and standards prescribed in the Schedule of the Act;

(vi) bring to the notice of the local authority any deviation from the rights of the child, in particular mental and physical harassment of children, denial of admission, and timely provision of free entitlements as per sub-section (2) of Section 3;

(vii) identify the needs, prepare a plan and monitor the implementation of the provisions of Section 4;

(viii) monitor the identification and enrolment of and facilities for learning of disabled children and ensure completion of their elementary education;

(ix) monitor the implementation of the mid-day in the school;

(x) prepare an annual account of receipts and expenditure of the school;

(xi) monitor regularity and punctuality of the teachers of the school.

(7) any money received by the committee shall be credited in the account of the committee. The account shall be the joint account of the chairperson and the member secretary of the committee. The account shall be made available for audit whenever is required.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. तोमर, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2014.